श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में कोविड–19 की महामारी संक्रमण के दृष्टिगत कोरोना की रोकथाम हेतु जागरूकता होना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं–

1. विश्वविद्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। इसके परिपालन हेतु विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों की जबाबदेही निर्धारित की जाती है।
2. अत्यन्त ही अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी बाहरी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा तदोपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रवेशित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा। अन्य अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के स्तर से इस प्रकार की अनुमति तत्काल प्रतिबन्धित की जाती है।
3. डिस्पैच क्लर्क सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से डाक सेनेटाइज करने के उपरान्त ही डाक प्राप्त करेंगें तत्पश्चात ही डाक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त प्राप्त करायी जाय।
4. प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को विश्वविद्यालय परिसर सैनेटाइज किया जायेगा, इस दौरान सम्पूर्ण कार्यालय परिसर बन्द रहेगा तथा परिसर में किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी इस हेतु विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है।
5. दिनांक 24.04.2021 (शनिवार) को आवश्यक कार्यों हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिस कारण शनिवार दिनांक 24.04.2021 के स्थान पर सोमवार दिनांक 26.04.2021 को विश्वविद्यालय परिसर में सैनेटाइज किया जायेगा तथा परिसर पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।

प्रो0(एम0एस0रावत)
प्रभारी कुलसचिव,

।।। कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढवाल।।।

संख्या-Memo/एसडीएसयूवी/प्रशासन/2021 दिनांक–22अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
3. परीक्षा नियन्त्रक/ सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य/व्या0)
4. वित्त अधिकारी।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
6. निदेशक, निजी शिक्षण संस्थान,सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
7. श्री कुलदीप नेगी, निजी सचिव कुलपति को विश्वविद्यालय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8. सुरक्षा कर्मी विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार को उक्त का अक्षरशः अनुपालन हेतु।
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

22.4.21
प्रभारी कुलसचिव।